अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
61/2019	28.08.2019	11.03.2023

बउनवान

1. दुलीचन्द पुत्र गजानन्द उम्र 40 वर्ष जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. रामहेत पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. बजरंगी पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4. सुशिला पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. प्रसन्नबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6. इन्द्राबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. कान्हीबाई पत्नि गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
8. गोरीशंकर पुत्र हजारीलाल जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ग्राम शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 का एक संभ्रान्त नागरीक है जो कृषि कार्य करके अपना एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। वादी के पिता गजानन्द पुत्र ग्यारसीराम जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी ख0न0 388 रकबा 1908 है0 ख0न0 403 रकबा 3.34है0, ख0न0403/541 रकबा 1.64 है0, ख0न0 403/542 रकबा 2.44 है0, कुल 4 किता का रकबा 8.50है0 वाके माल आडागैला उर्फ हरिनगर में दर्ज थी और वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के पिता की मृत्यु हो जाने के वाद वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 7 के नाम फौती नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 25/01/2010 को दर्ज हुआ जिसमें उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम दर्ज कि गई जिसमें वादी का नाम दुलीचन्द होते हुए भी बिना पुछताछ किए तलराज खाते में दर्ज करवा दिया है जबकि वादी का नाम समस्त राजकीय दस्तावेज में दुलीचन्द है इस के संबंध में वादी द्वारा वाद के साथ

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

राशनकार्ड, वोटर आई0डी0, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व सरपंच कि तस्दीक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रतिवादी कम 9 को लैण्ड होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाना एवं दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक है, लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत नोटिस समयाभाव में दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादपत्र के साथ धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण जब उत्पन्न हुआ कि प्रतिवादी कम 9 से वादी ने आखरी बार दिनांक 8/8/2019 को कहने व नाम दुरुस्त करने से मना करने तथा वादी को अपने बच्चे के लिए उच्च शिक्षा के लिए तुरंत बैंक से कर्जा लेने की आवश्यकता आ गई इसलिए वादी को माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 को वादी का नाम दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं होने से पक्षकार बनाया और किसी प्रकार की रिलिफ प्रतिवादीगणों से नहीं चाही गई है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी कम 9 के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि:–

ग्राम आडागैला उर्फ हरिनगर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित आराजी रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी ख0न0 388 रकबा 1908 है0 ख0न0 403 रकबा 3.34है0, ख0न0403/541 रकबा 1.64 है0, ख0न0 403/542 रकबा 2.44 है0, कुल 4 किता का रकबा 8.50है0 जो वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है जिसमे वादी का नाम तलराज के स्थान पर दुलीचन्द दर्ज करने कि घोषणा की डिकी एवं निर्णय प्रदान कर प्रतिवादी कम 9 को नाम दुरुस्त करने का आदेश दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी कम 2 ता 01 की ओर से श्री एन.के.कुशवाह वकील द्वारा वकालतनामा एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से वकील श्री रोहित तिवारी द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से प्रकरण में कोई जवाब पेश नही गया गया। प्रतिवादी कम 1 वकील द्वारा प्रतिवादी कम 01 को Note – Press किया गया।

वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 ता 9 के विरूद्व कोई रिलीफ नही चाही गई है। पत्रावली में पटवार मण्डल ढीबरी चम्बल द्वारा मजमेआम में तैयार की गई मौका रिपोर्ट संलग्न है जिस पर पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक एवं ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। अतः वाद स्वीकार कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरस्त फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वादी का नाम विवादित आराजी में तलराज दर्ज है किन्तु वादी का वास्तविक नाम दुलीचन्द है। पटवारी हलका की रिपोर्ट पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर है। पत्रावली में प्रतिवादीगण 1 ता 9 के विरूद्व कोई सहायता नही चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हल्का की रिपोट पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर है। पत्रावली में प्रतिवादीगण 1 ता 9 के विरूद्व कोई सहायता नही चाही गई है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी माल ग्राम ख0न0 388 रकबा 1908 है0 ख0न0 403 रकबा 3.34है0, ख0न0 403/541 रकबा 1.64 है0, ख0न0 403/542 रकबा 2.44 है0, कुल 4 किता का रकबा 8.50है0 में वादी का नाम तलराज के स्थान पर दुलीचंद किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी इटावा

आतम डिक्री मुकदमा इब्ताइ

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखंड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. दुलीचन्द पुत्र गजानन्द उम्र 40 वर्ष जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. रामहेत पुत्र गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. बजरंगी पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4. सुशिला पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. प्रसन्नबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6. इन्द्राबाई पुत्री गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. कान्हीबाई पत्नि गजानन्द जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
8. गोरीशंकर पुत्र हजारीलाल जाति धाकड़ नि0 शेरपुर तह0 पीपल्दा जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सत्यनारायण मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम आडागैला उर्फ हरिनगर तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित आराजी रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी ख0न0 388 रकबा 1908 है0 ख0न0 403 रकबा 3.34है0, ख0न0403/541 रकबा 1.64 है0, ख0न0 403/542 रकबा 2.44 है0, कुल 4 किता का रकबा 8.50है0 जो वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है जिसमे वादी का नाम तलराज के स्थान पर दुलीचन्द दर्ज करने कि घोषणा की डिकी एवं निर्णय प्रदान कर प्रतिवादी कम 9 को नाम दुरुस्त करने का आदेश दिया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तनुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ....11/03/2023.... को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
गुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखंड अधिकारी
इटावा जिला कोटा